मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री शर्मा ने सदन में विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर सत्ता पक्ष के सदस्यों को अपडेट रहने, उसके अनुरूप योजना बनाने, एकजुट होकर विपक्ष आरोपों का जवाब देने के लिये सदन में ज्यादा से ज्यादा समय मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री, सभी भाजपा विधायक व मंत्री 8 को कुंभ स्नान करेंगे

मुख्यमंत्री भजनलाल ने भाजपा विधायक दल की बैठक में विधायकों को अधिक समय सदन में रहने के निर्देश दिए

जयपुर, 6 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को, विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले, हां पक्ष लॉबी में भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। हर मंगलवार को होने वाली विधायक दल की बैठक मंगलवार को छुट्टी होने के कारण इस बार गुरुवार को हुई। बैठक में मुख्यमंत्री शर्मा ने सदन में विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर सत्ता पक्ष के सदस्यों को अपडेट रहने, उसके अनुरूप योजना बनाने, एकजुट होकर विपक्ष आरोपों का जवाब देने के लिये सदन में ज्यादा से ज्यादा समय मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित सरकार के सभी मंत्री और भाजपा विधायक 8 फरवरी को सपत्नीक स्नान करने जाएंगे। जानकारी के अनुसार, सुबह 6 बजे सभी विधायक और मंत्री सांगानेर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सुबह 8:30 बजे सभी का प्रयागराज में संगम में स्नान करने का कार्यक्रम रहेगा। यहां पंडितों और संतों की मौजूदगी में मंत्रोचार के साथ स्नान होगा। इसके बाद, सभी प्रयागराज में राजस्थान के लोगों को रुकने के लिए बनाए गए राजस्थान मंडपम में जाएंगे। जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद, यहीं पर लंच का कार्यक्रम रखा गया है। यहां से सभी मंत्री और विधायक प्रयागराज में स्थित लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे और वहां से शाम 8 बजे तक जयपुर लौटने का कार्यक्रम है।

- **संगम में स्नान के बाद, राजस्थान मंडपम में मुख्यमंत्री भजनलाल की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की बैठक होगी। यह मंडपम प्रयागराज में राजस्थान के लोगों के रुकने के लिये बनाया गया है।**

शेख हसीना के बयानों पर बंगलादेश ने कड़ा विरोध दर्ज कराया

ढाका/नयी दिल्ली, 06 फरवरी। बंगलादेश की सेना समर्थित अंतरिम सरकार ने गुरुवार को भारत में शरण लिए हुए अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा दिए गए झूठे और मनगढ़त बयानों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। न्यूएजबीडी की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्रालय ने भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बाधे को एक विरोध पत्र सौंपा। उन्हें, सोशल मीडिया पर हसीना के ऑडियो बयान प्रसारित होने के एक दिन बाद मंत्रालय में तलब किया गया था। मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञिप्त में कहा गया है, ढ ाका में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त को सौंपे गए विरोध पत्र के माध्यम से मंत्रालय ने बंगलादेश सरकार की गहरी चिंता, निराशा और गंभीर आपत्ति व्यक्त की है क्योंकि इस तरह के बयान बंगलादेश में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। विज्ञिप्त में कहा गया है, विदेश मंत्रालय ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा बंगलादेश में अस्थिरता को भड़काने के लिए सोशल मीडिया सहित बयानों पर भारत सरकार के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

कुंजीलाल, भगत व ठाकुर अतिरिक्त मुख्य सचिव बने

राजीव सिंह ठाकुर

अश्विनी भगत

कुंजीलाल मीणा

जयपुर, 6 फरवरी (कासं)। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत करके अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया है। इस संबंध में गुरूवार को आदेश जारी किए गए। आदेश के मुताबिक, वर्ष 1995 बैच के वरिष्ठ आई.ए.एस. राजीव सिंह ठाकुर, अश्विनी भगत और कुंजीलाल मीणा को भारतीय प्रशासनिक सेवा की अबॉव सुपर टाइम वेतन श्रृंखला से मुख्य सचिव वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया है। राज्य सरकार ने अल्प संख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग राजस्थान जयपुर में प्रमुख शासन सचिव के पद पर कार्यरत अश्विनी भगत को इसी विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर लगाया है।

- **गुरुवार को जारी आदेश में 1995 बैच के तीनों आईएएस अधिकारियों को मुख्य सचिव वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया।**

'अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अखिलेश यादव शामिल थे, ने भारतीय नागरिकों के अपमानजनक डिपोर्टेशन पर नाराजगी जताई और भारी हंगामा किया।

सांसदों ने इस विषय पर संसद में बहस कराने की मांग करते हुए, भारतीयों के साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार पर नाराजगी जताई। उनहोंने तख्तियां ले रखी थीं, जिस पर लिखा था "इंसान हैं, अपराधी नहीं।" उनमें से कुछ ने हथकड़ियां भी पहनी हुई थी।

इस मुद्दे पर अखिलेश ने एन.डी.ए. पर कटाक्ष किया कि जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाया था, वे चुप क्यों है।

उन्होंने कहा भारतीयों को गुलामों की तरह हथकड़ी बांध गैर मानवीय हालात में लाया गया। विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है। इस सरकार ने औरतों व बच्चों को इस अपमान से बचाने के लिए क्या किया? हम चाहते हैं सरकार जवाब दे और विपक्ष को सदन में यह मुद्दा उठाने की अनुमति दे।"

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी, जो कि ट्रम्प के अच्छा दोस्त होने का दावा करते हैं, उन्होंने ऐसा कैसे होने दिया। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रम्प अच्छे दोस्त हैं इस पर बहुत बातें की जाती हैं, पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कैसे होने दिया। क्या उन्हें वापस लाने के लिए हम अपना विमान नहीं भेज सकते थे, क्या इंसानों के साथ ऐस बर्ताव किया जाता है। उन्हें बेड़ियों में जकड़कर भेजा गया। विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए।

कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने भी यही चिंता जताई। उन्होंने कहा, अवैध अप्रवासियों को जिस तरह से वापस लाया गया, वह गलत है। उन्हें अपमानित किया गया। हाथ और पैर चैन से बंधे थे। जब हमारी सरकार जानती थी कि उन्हें वापस भेजा जाएगा तो सरकार को अपना विमान भेजना चाहिए था।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, मैं अमेरिका की सरकार के आचरण से निराश हूं। भारत और अमेरिका के इतने अच्छे रिश्ते हैं, पर जिस तरह से उन्होंने भारतीयों को सैन्य विमान में ठूंसकर तथा बेड़ियों में जकड़कर भेजा हैं, वह अमानवीय है। मैं हैरान हूं कि प्रधानमंत्री चुप हैं व विदेश मंत्रालय चुप है। उन्हें इस पर बयान देना चाहिए।

मोदी सरकार के "डैमेज कंट्रोल" का उदाहरण पंजाब में आप सरकार व गुजरात में भाजपा सरकार द्वारा इन यात्रियों की वापसी से निपटने के तरीके से दिखाई दिया।

जहां अमृतसर में आप सरकार ने मीडिया को वापस लौटे लोगों से बात करने की अनुमति दी, लेकिन जब 26 लोगों का जत्था अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचा तो उन्हें राज्य पुलिस ने उनके स्थानों तक पहुंचा दिया, मीडिया को उनसे बात नहीं करने दी।

वायुसेना का मिराज 2000 दुर्घटना ग्रस्त

शिवपुरी, 06 फरवरी। मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के पपरेडू गांव के पास आज वायुसेना का एक लड़ाकू विमान 'मिराज 2000' तकनीकी खराबी के चलते दुर्घटनाग्रस्त होकर खेत में गिर गया। हालांकि समय रहते दोनों पायलटों ने सूझबूझ का परिचय दिया और वे सुरक्षित हैं।

वायुसेना के अनुसार, इस संबंध में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच से विमान हादसे का वास्तविक कारण पता चल सकेगा। लड़ाकू विमान ने ग्वालियर स्थित वायुसेना के हवाईअड्डे से उड़ान भरी थी और वह नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। कुछ देर बाद, विमान ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले में दुर्घटनाग्रस्त होकर खेत में गिर गया। इसके पहले ही, दोनों पायलट पैराशूट की मदद से विमान से कूदने में सफल रहे। विमान का मलबा खेत में बिखर गया और उसमें आग लग गयी।

कांग्रेस को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उठाये अधिकांश मुद्दों, तथा उनके शासन-प्रशासन एवं आदर्श आचार संहिता से सम्बंधित मुद्दों के बारे में कहने के लिये कुछ नहीं है।

क्या दिल्ली...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की भविष्यवाणी की है।

दिल्ली में मतदान कुल 60.42 प्रतिशत हुआ जो कि 2020 के विधानसभा चुनाव के 62.59 प्रतिशत से कुछ कम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन क्षेत्रों में जैसे- साउथ दिल्ली, न्यू दिल्ली में मध्यम वर्ग ज्यादा रहता है, वहाँ मतदान प्रतिशत काफी कम क्रमश: 58.16 और 57.13 प्रतिशत रहा।

मध्यम वर्ग क्षेत्रों में मतदान में कमी और आप की सीटों में कमी के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं बताते है, लेकिन ये मध्यम वर्ग के मतदाताओं के आप से दूर होने का संकेत अवश्य देते हैं।

'पद्मेश मिश्रा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करके चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसलिए याचिका खारिज की जाए।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि, "वाद नीति-2018" में जो संशोधन किया गया है, वह राज्य कैबिनेट के द्वारा किया गया है। इस पर यह आक्षेप लगाना कि यह संशोधन किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए मनमाने तरीके से किया गया है, उचित नही है। इस आरोप को सिद्ध करने के लिए बेहद गंभीर साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। अदालत ने कहा कि सिर्फ यह कह देना पर्याप्त नहीं होगा कि मिश्रा की दोनों नियुक्तियां उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए की गई हैं। राज्य सरकार के पास नीति परिवर्तन का पूरा अधिकार है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

'कैदी से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के मानवाधिकारों की रक्षा करे।

परिवाद में कहा गया कि उसका पति मुकेश हत्या के प्रयास में अजमेर जेल में बंद है। जेल परिसर में अप्रैल, 2017 को बैरक तलाशी में मुकेश के पास कुछ नहीं मिला। इसके बावजूद, जेलकर्मियों ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की और बदले में रुपए मांगे गए। परिवाद में, जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने के बदले रुपए लेने की जानकारी दी गई। इस पर आयोग ने पूर्व में प्रसंज्ञान लेकर रिपोर्ट तलब की थी। इसके साथ ही अदालत में पेश दो रिपोर्टों में विरोधाभास होने पर अदालत ने उच्चाधिकारियों से तीसरी रिपोर्ट तलब की, जिसमें कैदी के साथ मारपीट की बात कही गई।

महाकुंभ जा रहे भीलवाड़ा के आठ श्रद्धालुओं की सड़क दुर्घटना में मौत

दूदू के पास टायर फटने से रोडवेज बस डिवाइडर फांद कार से टकराई

जयपुर, 6 फरवरी। जयपुर के दूदू जिले के मौखमपुरा थाना इलाके में गुरुवार दोपहर 3.45 बजे एक रोडवेज बस और कार के बीच टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर एडीएम गोपाल परिहार व नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। पुलिस और प्रशासन ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि यह हादसा बस का टायर फटने से हुआ है। पुलिस के अनुसार, नेशनल हाईवे 48 पर मोखमपुरा स्थित बंबोरिया की ढाणी के पास बस और कार में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद, स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। तथापि, घटना इतनी भयानक थी कि किसी को बचाया नहीं जा सका।

एसपी आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि रोडवेज बस जयपुर से अजमेर जा रही थी और कार अजमेर से जयपुर की ओर आ रही थी। इसी दौरान, अचानक टायर फटने से बस बेकाबू हो गई और डिवाइडर कूदकर दूसरी तरफ से आ रही कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार बुरी तरह पिचक गई। उसके अंदर बैठे सभी आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार सभी लोग भीलवाड़ा के रहने वाले थे। मृतकों की उम्र 30 से 50 साल के बीच बताई जा रही है। ये लोग प्रयागराज महाकुंभ जा रहे थे। मृतकों की पहचान दिनेश कुमार पुत्र मदनलाल रेगर, बबलू मेवाड़ा पुत्र मदन मेवाड़ा, किशन पुत्र जानकी लाल, रविकांत पुत्र मदनलाल, बाबू रेगर पुत्र मदनलाल, नारायण निवासी बड़लियास (भीलवाड़ा) व प्रमोद सुथार पुत्र मूलचंद, निवासी मुकुंदपुरिया (भीलवाड़ा) के रूप में हुई। एक शव की पहचान के प्रयास जारी हैं। पुलिस के अनुसार, जयपुर की तरफ से जोधपुर डिपो की बस आ रही थी। बस के ड्राइवर की तरफ वाला आगे वाला टायर फट गया, जिससे बस डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ चली गई। कार में फंसे शवों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। दूदू हादसे पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने दुख जताया है। दीया कुमारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में कहा, "जयपुर के दूदू में हुए भीषण सड़क हादसे में कई नागरिकों के हताहत होने का हृदय विदारक समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करती हूं।"

- **हादसे में कार बुरी तरह पिचक गई। कार में बैठे आठों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की उम्र 30 से 50 साल के बीच थी।**

सांसद-विधायकों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तकनीकी सहयोग की जरुरत हो तो राज्य सरकार उस पर भी विचार करे। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की विशेष खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की आदेश की पालना में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद को कहा है कि वे इन आपराधिक मामलों के जल्दी निस्तारण को लेकर दो माह में अपने सुझाव पेश करें।

सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से रिपोर्ट पेश कर कहा गया कि प्रदेश में एमपी-एमएलए से जुड़े तीन दर्जन से अधिक प्रकरण लंबित हैं। रिपोर्ट में इन मुकदमों से जुड़ी अदालतों और लंबित अवधि की जानकारी भी दी गई। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में एमपी-एमएलए से जुड़े आपराधिक मामलों को लेकर हाईकोर्ट को निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा था कि वे इन केसों के संबंध में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर विशेष पीठ के जरिए सुनवाई करें और लंबित प्रकरणों की सुनवाई जल्दी पूरी करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को संबंधित अदालतों से इन प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट भी मांगने को कहा था। वहीं, एक वेबसाइट भी बनाने को कहा था, जिसमें यह ब्यौरा हो कि किस जिले में एमपी-एमएलए के खिलाफ कितने केस पेंडिंग हैं और उनकी स्थिति क्या है।

डिस्कवरी चैनल के अधिकारियों को धमकी, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी किये

नयी दिल्ली, 06 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने डिस्कवरी चैनल के अधिकारियों को अंतरिम सुरक्षा दी, जिन्हें आसाराम बापू पर बनी डॉक्युमैंट्री सीरीज़ "कल्ट ऑफ फियर: आसाराम बापू" रिलीज के बाद कथित तौर पर धमकियां दी जा रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कवरी चैनल के कर्मचारियों की याचिका पर केंद्र और अन्य राज्य सरकारों को गुरुवार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें याचिकाकर्ता शशांक वालिया और अन्य तथा उनके कार्यालयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

पीठ ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और दिल्ली को नोटिस जारी किया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि 25 जनवरी को उस डॉक्यूमेंट्री के डिस्कवरी चैनल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शुरू होने के बाद संबंधित कंपनी कर्मचारियों को स्वयंभू संत आसाराम के अनुयायियों द्वारा धमकियां दी जा रही हैं।

शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव मुखर्जी ने कहा कि शिकायत के बाद भी धमकियां जारी हैं।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें आशंका है कि आसाराम बापू के स्वयंभू समर्थक डिस्कवरी, इसकी सहायक कंपनियों, मूल संस्थाओं और इसके कर्मचारियों, प्रबंधन, निदेशकों सहित याचिकाकर्ताओं के खिलाफ हिंसा, बर्बरता या अन्य आपराधिक कृत्यों का सहारा ले रहे हैं और वे आगे भी ऐसा करना जारी रख सकते हैं। आसाराम के स्वयंभू समर्थकों की ओर से दी जा रहीं ये धमकियां संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(ए) और (जी) और 21 के तहत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

- **डिस्कवरी चैनल पर आसाराम बापू पर एक डॉक्यूमैंट्री सीरीज़ प्रसारित करने के बाद, आसाराम समर्थक डिस्कवरी चैनल के स्टाफ को धमकियां दे रहे हैं।**

पाकिस्तान से...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सेक्टर नौ में स्थित श्रीगुरुकार्ष्णि के शिविर में से सिंध प्रांत से आए गोबिंद राम माखीजा ने बताया, पिछले दो तीन महीनों से, जब से हमने महाकुंभ के बारे में सुना है, हमारी बड़ी इच्छा थी यहां आने की। हम खुद को आने से रोक नहीं सके।

भीमा कोरेगांव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने इसके अलावा सह-आरोपी महेश राउत को दी गई जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अपील को भी स्थगित कर दिया। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर की इस दलील पर गौर किया कि गाडलिंग एक अधिवक्ता थे, जो तथाकथित माओवादियों का प्रतिनिधित्व करते थे। न्यायमूर्ति बिंदल ने हालांकि टिप्पणी की, वे सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि कई अन्य काम कर रहे थे। इस पर अधिवक्ता ग्रोवर ने कहा कि ये महज आरोप थे, जिन्हें गलत साबित किया जा सकता है। न्यायमूर्ति बिंदल ने मुकदमे में देरी पर चिंता जताई, जबकि अधिवक्ता ग्रोवर ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 207 के तहत केवल प्रारंभिक कार्यवाही चल रही है। उन्होंने रिकॉर्ड पेश करने के लिए अतिरिक्त समय देने की अदालत के समक्ष गुहार लगाई।

'यूजीसी के जरिए संघ का "एक इतिहास, एक परम्परा, एक भाषा" एजेंडा' थोप रही है भाजपा'

राहुल गांधी ने युनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति में यूजीसी ड्राफ्ट रैगुलेशन्स के खिलाफ टिप्पणी की

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 फरवरी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिये यूजीसी के ड्राफ्ट रेग्यूलेशन आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ाने की स्पष्ट कोशिश है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का उद्देश्य देश पर "एक इतिहास, एक परम्परा, एक भाषा" को थोपने के लक्ष्य को प्राप्त करना रहा है।

यहाँ द्रमुक द्वारा ड्राफ्ट यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन (यूजीसी) के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में बोलते हुये, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य देश के सभी अन्य इतिहासों, संस्कृतियों और परम्पराओं को मिटाना है।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "विभिन्न राज्यों की शिक्षा व्यवस्था के संबंध में जो कोशिश की जा रही है, वह इसके (आरएसएस) एजेंडा को आगे बढ़ाने की एक और कोशिश ही है।"

उन्होंने कहा, "प्रत्येक राज्य की अपनी परम्पराएं, इतिहास और भाषा होती है और यही कारण है कि मैं कहता रहता हूँ कि संविधान में, भारत को "राज्यों का संघ" कहा गया है, जिसका मतलब है कि इन सभी राज्यों का इतिहास, परम्पराएं तथा भाषाएं मिलकर भारत को राज्यों का संघ बनाती हैं तथा इसलिये हमें इसके बारे में सोचना ही होगा।"

उन्होंने कहा, "हमें सभी भाषाओं, सभी संस्कृतियों, सभी परम्पराओं और सभी इतिहासों का सम्मान करना ही होगा तथा हमें यह समझना ही होगा कि ये सब चीजें कहाँ से आ रही हैं।"

उन्होंने कहा कि तमिल लोगों का अपना इतिहास, भाषा और परम्पराएं है तथा उनके अपने संघर्ष रहे हैं।

राहुल ने यूजीसी के ड्राफ्ट रेग्यूलेशंस को लेकर कहा, "यह सब करना तमिल लोगों का तथा उन सभी अन्य राज्यों का भी अपमान है, जहाँ आरएसएस अपना आधिपत्य थोपने की कोशिश कर रही है।"

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी भाजपा-आरएसएस पर प्रहार करते हुये, आरोप लगाया कि ये दोनों सभी राज्य सरकारों के सभी अधिकार छीन लेना चाहते हैं।

यादव ने कहा, "वे राजनेताओं को उद्योगपतियों के नौकर बनाना चाहते हैं। हम नई शिक्षा नीति का समर्थन कभी नहीं कर सकते। मैं यहाँ सभी विद्यार्थियों और उनके द्वारा लिए गए निर्णय का समर्थन कर रहा हूँ। मैं एनईपी (नैशनल एजुकेशन पॉलिसी) के खिलाफ हूँ, मैं भाजपा के खिलाफ हूँ।"

कांग्रेस ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों तथा शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति के ड्राफ्ट यूजीसी रेग्यूलेशंस को "क्रूर और संविधान-विरोधी" बताया है तथा मांग की है कि इन्हें तत्काल वापस लिया जाये।

ड्राफ्ट रेग्यूलेशंस को लेकर केन्द्र पर प्रहार करते हुये, कांग्रेस ने कहा कि यह सफाई देना कि नियम एनईपी, 2020 की अनुपालना में अपडेटेड कर दिये गये हैं, संवीक्षा को नहीं रोक सकते तथा ये वापस लिये ही जाने चाहिये।

कांग्रेस के महासचिव तथा कम्यूनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा है कि कर्नाटक के मंत्री एम.सी. सुधाकर ने "स्टेट हायर एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव" बेंगलुरु में बुलाई थी, जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश तथा झारखंड (सभी विपक्ष-शासित राज्य) के उच्च शिक्षा मंत्री या उनके प्रतिनिधि शामिल हुये थे। इस कॉन्क्लेव में यूजीसी के "निष्ठुर" ड्राफ्ट रेक्यूलेशंस पर एक पन्द्रह-सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया था।

रमेश ने कहा, "संघवाद का संवैधानिक सिद्धांत परम पावन एवं अलंघनीय है तथा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के चरम प्रयत्नों में से एक होना चाहिये। एनईपी, 2020 इस पर हावी नहीं हो सकता तथा जो नियम एनईपी, 2020 की अनुपालना में अपडेट किये गये हैं, वे इसकी संवीक्षा को नहीं रोक सकते।"

रमेश ने कहा कि ये ड्राफ्ट रेग्यूलेशंस तत्काल वापस लिये जाने चाहिये।

कर्नाटक सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बुधवार को आयोजित कॉक्लेव का उद्देश्य था - ड्राफ्ट "यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स अपॉइन्मैंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स एंड एकेडेमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेज़ एंड मैज़र्स फॉर द मैंटीनैंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन रेग्यूलेशंस, 2025" के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा करना तथा एनईपी, 2020 के क्रियान्वयन पर आधारित उच्च शिक्षा संस्कानों की ग्रेडिंग पर चर्चा करना।

- **यूजीसी के कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के संबंध में जारी ड्राफ्ट रैगुलेशन्स के खिलाफ दिल्ली में जंतर-मंतर पर द्रमुक ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें सभी विपक्षी दलों ने शिरकत की।**
- **सपा नेता अखिलेश यादव ने भी संघ व भाजपा पर निशाना साधा, वे राज्यों से सभी अधिकार लेना चाहते हैं। अखिलेश ने कहा, हम नई शिक्षा नीति का समर्थन कभी भी नहीं कर सकते हैं।**

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600